फा. सं. 14014/02/2012-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 05 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुकम्पा नियुक्ति पर समेकित अनुदेश - विवाहित पुत्र के संबंध में दिनांक 30.05.2013/25.02.2015 के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की समीक्षा।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 9 अक्तूबर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/1994-स्का.(घ) और दिनांक 16 जनवरी, 2013 के समसंख्यक का. ज्ञा. की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा **अनुकंपा नियुक्ति पर समेकित अनुदेश** जारी किए गए थे। तत्पश्चात् दिनांक 30.05.2013 के एफएक्यू सं. 13 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विवाहित पुत्र आश्रित पारिवारिक सदस्य नहीं माने जाते इसलिए वे अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र नहीं होते। विवाहित पुत्र के संबंध में स्पष्टीकरण की, जैसा कि दिनांक 30.05.2013 के एफएक्यू सं. 13 में अनुसूचित किया गया है, दिनांक 25.02.2015 के समसंख्यक एफएक्यू सं. 60 द्वारा निम्नलिखित के अनुसार समीक्षा की गई है:-

क्रम सं.	*प्रश्न*	*उत्तर*
60	क्या 'विवाहित पुत्र' के नाम पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।	हां, यदि वह इस स्कीम की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है अर्थात् वह अन्यथा पात्र है और इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के का. ज्ञा. में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करता है। यह इस एफएक्यू के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा अर्थात् 25 फरवरी, 2015 से और अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों का पहले ही निपटान किया जा चुका है, दिनांक 30 मई, 2013 के एफएक्यू को पुन: न खोला जाए। दिनांक 30 मई, 2013 को एफएक्यू क्र. सं. 30 को इस के अनुसार संशोधित माना जाए।

2. विभिन्न न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 30.05.2013 के स्पष्टीकरण/एफएक्यू सं. 13 और दिनांक 25.02.2015 के एफएक्यू सं. 60 की विधिक मामले विभाग के परामर्श से आगे समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि विवाहित पुत्र पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है यदि वह इस स्कीम की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है अर्थात वह अन्यथा पात्र हो और इस विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के का.ज्ञा. में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करता हो।

3. दिनांक 30.05.2013 की एफएक्यू सं. 13 और दिनांक 25.02.2015 की एफएक्यू सं. 60 उनके जारी होने की तारीख से वापिस लिए जाते हैं।

4. इस अवधि अर्थात दिनांक 30.05.2013 से 25.02.2015 तक के दौरान विवाहित पुत्र के संबंध में दिनांक 30.05.2013 के एफएक्यू सं. 13 के अनुसार केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर ही निरस्त अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों को इस का. ज्ञा. के जारी होने के बाद होने वाली रिक्तियों के लिए पुन: खोला/पुनर्विचार किया जा सकता है।

जी.जयंती

(जी. जयंती)
निदेशक (ई-I)
दूरभाष :- 23092479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7. महापंजीयक, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबंधित कार्यालय।
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
14. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
15. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
16. स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी कार्यालय और अनुभाग
18. सुविधा केंद्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां)
19. एनआईसी (डीओपीटी) इसे कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
20. स्थापना अनुभाग (10 प्रतियां)